<u>न्यायालयःश्रीष कैलाश शुक्ल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर</u> <u>जिला–बालाघाट, (म.प्र.)</u>

<u>आप.प्रक.कं.—523 / 2009</u> <u>संस्थित दिनांक—05.10.2009</u> फाईलिंग क.234503000482009

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र–मलाजखण्ड, जिला–बालाघाट (म.प्र.)

अभियोजन

/ <u>विरुद</u>्ध / /

1—संतलाल पिता बजरूसिंह धुर्वे, उम्र—36 वर्ष, निवासी—ग्राम पौनी, थाना—मलाजखण्ड, जिला—बालाघाट(म.प्र.)

2—संजू कुमार उइके पिता र्कातिक राम उइके, उम्र—28 वर्ष, निवासी—ग्राम जामटोला, थाना—रूपझर, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

3—पवन पटले पिता अंतराम पटले, उम्र—28 वर्ष, निवासी—ग्राम टिंगीपुर, थाना—मलाजखण्ड, जिला—बालाघाट(म.प्र.)

--- -- <u>आरोपीगण</u>

// <u>निर्णय</u> // <u>(आज दिनांक-01/08/2016 को घोषित)</u>

- 1— आरोपीगण के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 379 के तहत् आरोप है कि उन्होंने दिनांक—23.09.2009 को 8:30 बजे, अंतर्गत थाना मलाजखण्ड में आर.के. कंपनी मलाजखण्ड, के कब्जे में से वाल्वो टीपर गाड़ी का ए.सी. काम्प्रेसर, वाल्वो टीपर गाड़ी का क्लच सर्वो कैंप, वाल्वो टीपर गाड़ी का पट्टा कीमती करीब 15000/—रूपये को उसकी सहमति के बिना बेईमानी से ले लेने के आशय से हटाकर चोरी की।
- 2— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी बब्लू सिंह ने दिनांक—23.09.2009 को थाना मलाजखण्ड आकर इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह आर.के.टी. कंपनी मलाजखण्ड में मैनेजर के पद पर पदस्थ है और वह तीन वर्ष से एच. सी.एल. मलाजखण्ड में काम कर रहा है। कुछ माह से उसकी कंपनी के कर्मचारी कंपनी में चोरी कर रहे थे, इसलिए दिनांक—23.09.2009 को सुबह 8:30 बजे जांच किये जाने पर कंपनी का कर्मचारी पवन पटले, संतलाल तथा संजू कुमार ए.सी. कॉम्प्रेशर, गाड़ी का पट्टा और अन्य सामान लेकर जा रहे थे, जिन्हें उसने तथा वरूण चौहान ने पकड़ा था और थाने लेकर गए थे। उपरोक्त आधार पर पुलिस थाना मलाजखण्ड में आरोपीगण के विरुद्ध अपराध कमांक—64 / 09, धारा—379, 34 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्व किया गया। पुलिस द्वारा अनुसंधान के दौरान उक्त घटना स्थल का मौकानक्शा तैयार कर, आरोपीगण के मेमोरेण्डम के आधार पर आरोपीगण से चोरी गया सामान जप्त किया गया, साक्षीयों के

कथन लेखबद्ध किये गये तथा आरोपीगण को विधिवत् गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—379 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर आरोपीगण ने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपीगण का अभियुक्त परीक्षण धारा 313 द.प्र.सं. के तहत किए जाने पर उन्होंने अपने कथन में स्वयं को निर्दोष व झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया है तथा बचाव में कोई साक्ष्य पेश नहीं की है।

4- प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय बिन्दु यह है कि :-

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक—23.09.2009 को 8:30 बजे, अंतर्गत थाना मलाजखण्ड में आर.के. कंपनी मलाजखण्ड, के कब्जे में से वाल्वो टीपर गाड़ी का ए.सी. काम्प्रेसर, वाल्वो टीपर गाड़ी का क्लच सर्वो कैंप, वाल्वो टीपर गाड़ी का पट्टा कीमती करीब 15000/—रूपये को उसकी सहमति के बिना बेईमानी से ले लेने के आशय से हटाकर चोरी की ?

विचारणीय बिन्दु का निष्कर्ष:-

राजकुमार (अ.सा.5) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह दिनांक-23.09.2009 को थाना मलाजखण्ड में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को सूचनाकर्ता बब्लूसिंह द्वारा तीनों आरोपीगण को सामान सहित चोरी करते पकड़ा गया था, जिन्हें वह थाना लेकर आया था। उसकी मौखिक रिपोर्ट पर उसने आरोपीगण के विरूद्ध प्रदर्श पी-4 का प्रथम सूचना प्रतिवेदन जिसका अपराध क्रमांक-64/09, धारा-379, 34 भा.द.वि. लेख किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। थाना मलाजखण्ड में आरोपी पवन पटले से साक्षियों के समक्ष वाल्वो गाडी का जिसका पार्ट नंबर-02838903 जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-5 के अनुसार जप्त किया था, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं एवं जिस पर आरोपी और साक्षियों के हस्ताक्षर लिये थे। आरोपी संतलाल से वाल्वो गाड़ी का क्लच प्रदर्श पी-6 अनुसार साक्षियों के समक्ष जप्त किया था, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं एवं जिस पर साक्षियों के भी हस्ताक्षर लिये थे। आरोपी संजूकुमार से वाल्वों गाड़ी का पट्टा प्रदर्श पी-7 अनुसार जप्त किया था, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं, जिस पर आरोपी एवं साक्षियों के हस्ताक्षर लिये थे। उक्त दिनांक को ही उसने फरियादी एवं साक्षियों के कथन उनके बताए अनुसार लेख किये थे तथा आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-8 से लगायत 10 तैयार किया था, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने प्रार्थी की निशानदेही पर घटनास्थल का नजरीनक्शा प्रदर्श पी-11 तैयार किया था, जिसके अ से अ भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं।

- 6— प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्श पी—4 में प्रार्थी ने किसी साक्षी का नाम नहीं लिखाया था। यह भी स्वीकार किया कि चोरी के सामान के विषय में कंपनी के स्वामित्व के होने संबंधी कोई कागज अथवा रसीदें प्रस्तुत नहीं की गई है। बचाव पक्ष के इस सुझाव से साक्षी ने इंकार किया कि उसने थाने पर बैठकर कार्यवाही की थी एवं गवाहों के बयान उसने अपने मन से लेख किये थे।
- 7— अभियोजन की ओर से परिक्षित साक्षी (अ.सा.1) सुरेश कुमार धुर्वे ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि घटना उसके बयान देने से 2—3 वर्ष पूर्व की है। वह आर.के.टी. कंपनी मलाजखण्ड में कार्य करता था। वह आरोपीगण को जानता है। घटना के विषय में उसे कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने उससे घटना के विषय में कोई पूछताछ नहीं की थी। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने से साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि घटना दिनांक को सुबह 8:30 बजे आरोपीगण को चोरी के सामान सहित पकड़ा गया था। उसने अपना पुलिस कथन प्रदर्श पी—1 पुलिस को लेख नहीं कराना व्यक्त किया है।
- 8— अभियोजन की ओर से परिक्षित साक्षी रमेश पटले (अ.सा.2), अजय गौतम (अ.सा.3) ने कहा है कि वह आरोपीगण को नहीं जानता। उन्हें घटना के विषय में कोई जानकारी नहीं है। उपरोक्त साक्षियों को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षीगण ने इंकार किया कि घटना दिनांक—23.09.2009 को आरोपीगण को चोरी का सामान ले जाते समय घेराबंदी कर पकड़ा गया था और उनके पास से चोरी का सामान प्राप्त हुआ था। साक्षी रमेश पटले (अ.सा.2) ने अपने पुलिस कथन प्रदर्श पी—2, अजय गौतम ने पुलिस कथन प्रदर्श पी—3 पुलिस को नहीं लेख कराना व्यक्त किया है।
- 9— तुमेश पारदे (अ.सा.६) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह आरोपीगण को जानता है। घटना वर्ष 2009 की है। घटना के समय आर.के. कंपनी मलाजखण्ड में काम करता था। जब वह बाजार से वापस आ रहा था तो उसने देखा कि की कंपनी के कर्मचारी मौके पर उपस्थित थे। आरोपीगण ने क्या चुराया था, इसकी उसे जानकारी नहीं है। उसने मैनेजर के कहने पर जप्तीपत्रक प्रदर्श पी—5, 6, 7 पर हस्ताक्षर किये थे। आरोपीगण को उसके सामने गिरफतार नहीं किया गया था। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि दिनांक—23.09.2009 को सुबह 8:30 बजे आरोपीगण को घेरकर पकड़ा गया था तब आरोपी पवन ने ए.सी. का कॉम्प्रेशर, आरोपी संतलाल के पास से क्लीज सर्वो का रैंप तथा आरोपी संजू के पास से गाड़ी का पट्टा पकड़ा गया था। साक्षी ने जप्तीपत्रक प्रदर्श पी—5 लगायत 7 तक की कार्यवाही एवं गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी—8 लगायत 10 की कार्यवाही अपने सामने होने से इंकार किया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसने कंपनी के मैनजर के कहने पर दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किये थे।

प्रकरण में सूचनाकर्ता बब्लूसिंह के अदम पता हो जाने से उसका न्यायालय 10-के समक्ष परीक्षण नहीं करया जा सका है। प्रकरण में अभियोजन ने जिन साक्षियों का न्यायालयीन परीक्षण कराया है, उनमें सुरेश कुमार धुर्वे (अ.सा.1), रमेश पटले (अ.सा.2), अजय गौतम (अ.सा.३), भूमेश (अ.सा.४), तुमेश पारदे (अ.सा.६) ने अभियोजन कहानी के सर्वथा विपरीत कथन किये हैं, उन्होंने अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है। साक्षी राजकुमार (अ.सा.5) के द्वारा विवेचना की कार्यवाही की गई है, परंतु मौके पर उपस्थित सभी शेष अभियोजन साक्षियों ने अभियोजन कहानी का पूर्णतः विपरीत कथन किये हैं। ऐसी स्थिति में आरोपीगण द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-379 का अपराध किये जाने के तथ्य सन्देह से परे प्रमाणित नहीं पाये जाते। अतः आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-379 में सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है।

प्रकरण में आरोपीगण की उपस्थिति बाबद् जमानत मुचलके द.प्र.सं. की 11-धारा-437(क) के पालन में आज दिनांक से 6 माह पश्चात् भारमुक्त समझे जावेगें।

प्रकरण में आरोपीगण दिनांक-23.09.2009 से दिनांक-25.09.2009 तक 12-न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध रहें हैं। उक्त के संबंध में धारा-428 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत पृथक से प्रमाणपत्र संलग्न किया जाये।

प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-5 लगायत ७ अनुसार 13-वाल्वो टिंपर गाड़ी का ए.सी. कॉम्प्रेशर पार्ट नंबर—20838903, वाल्वो टिंपर गाड़ी का क्लच सर्वो कैंप, वाल्वो टिंपर गाड़ी का पट्टा न्यायालय में जमा है जो अपील अवधि पश्चात आर. के.टी. कंपनी मलाजखण्ड को प्रदान की जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय .1 पर टंकित किः (श्रीष कैलाश शुक्ल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया गया ।

बेहर. दिनां क-01.08.2016